न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), वाली, जिला-पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 06/2019
दायरा तिथि : 05.02.2019
फैसला तिथि : 21-8-2019

प्रार्थी:-
तेजाराम मीणा, सरपंच,
ग्राम पंचायत बोया, तह0 वाली जिला पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थी :-
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, वाली

उपस्थिति:-
1. श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा — अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. तहसीलदार, वाली — पेरोकार सरकार

-:: आदेश ::- दिनांक 21-8-2019

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने बहैसियत सरपंच ग्राम पंचायत, बोया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव बोया के ग्राम वासीयो द्वारा आम ग्राम सभा में अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत बोया की आबादी भूमि का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सैटलमेट की भूल से रेकर्ड में अमल दरामद नही हो रखा हैं। सैटलमेंट के समय की लिपिकीय भूल से बोया के हाल खसरा नंबर 540 गै.मु. आगोर व खसरा नंबर 596 गैर मुमकिन वाला दर्ज किया गया हैं। उक्त दोनो खसरा नंबर पुराने खसरा नंबर 305 से बने है, जिसकी किस्म बारानी सोयम थी। पुराने खसरा नंबर 305 रकवा 93 बीघा 17 बिस्वा भूमि मेंसे मौके पर आबादी के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा दिनांक 05.03.1979 को पुराने खसरा नंबर 305 मेंसे 10 बीघा भूमि किस्म बारानी सोयम को आबादी में परिवर्तन के आदेश दिये गये। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 101 को तहसीलदार, बाली द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के समय भू0प्रबन्ध कार्यवाही विचाराधीन होने से भू0प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा नामा0करण संख्या 101 का रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। इसके साथ ही भूप्रबन्ध विभाग द्वारा गत् रेकर्ड से नया रेकर्ड तैयार करते समय मौका स्थिति अनुसार ग्राम बोया के गत् खसरा नंबर 305 से बने हाल खसरा नंबर 540 रकबा 2.55 हैक्टर की किस्म त्रुटिपुर्ण रूप से गै.मु. आगोर एवं इसी प्रकार गत् खसरा नंबर 305 से बने हाल खसरा नंबर 596 रकबा 3.79 हैक्टर की किस्म भी गै.मु. वाला दर्ज कर दी गई, जबकि हाल खसरा नंबर 540 व 596 दोनो ही खसरे गत् खसरा नंबर 305 से बने है, एवं गत् खसरा नंबर 305 की किस्म बारानी सोयम जागीर समय से भू0प्रबन्ध पुर्व के अधिकार अभिलेखों में दर्ज चली आ रही थी। तथा खसरा नंबर 305 मेंसे 10 बीघा भूमि को आबादी में परिवर्तन के आदेश की पालना में नामांतरकरण संख्या 101 स्वीकृत होने के बावजुद उसका भी अमल दरामद नहीं किया गया, एवं साथ ही त्रुटिपुर्ण तरीके से खसरा नंबर 540 की किस्म गै.मु. आगौर एवं खसरा नंबर 596 की किस्म गै.मु. वाला दर्ज कर दी, जबकि न तो उक्त भूमि गैर मुमकिन आगोर की भूमि हैं एवं न ही गैर मुमकिन वाला की भूमि हैं। पुराने रेकर्ड में न तो गैर मुमकिन वाला व न ही गैर मुमकिन आगोर थी, जबकि गैर मुमकिन आगोर पहले से ग्राम बोया में दुसरे खसरा नंबरान् में मौजूद है, इस प्रकार सैटलमेंट की गलती से उक्त खसरा नंबरान जो ग्राम पंचायत बोया की आबादी भूमि है, मौका स्थिति के अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 540 व 596 गैर मुमकिन आबादी ग्राम पंचायत बोया के नाम दर्ज होनी चाहिये, जिससे इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से ग्राम बोया के गत् खसरा नंबर 305 से बने हाल खसरा नंबर 540 व 596 ग्राम पंचायत बोया के नाम बतौर आबादी दर्ज करने एवं भूमि की किस्म गै.मु. वाला व गै.मु. आगोर से विलोपित कर पुर्व की स्थिति अनुसार बारानी सोयम दर्ज किये जाने की मांग की गई।

उप-खण्ड अधिकारी, वाली

पेज लगातार.....02

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध संख्या 06/2009 अनवान सरपंच ग्राम पंचायत, बोया बनाम राजस्थान सरकार
जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य ग्राम पंचायत बोया की बैठक दिनांक 27.12.2018 के प्रस्ताव संख्या–10 की प्रति, प्रस्ताव संख्या–11 की प्रति, उप जिलाधीश बाली के आदेश क्रमॉक/ राजस्व/ 78/ 2–63 दिनांक 12.01.79 की फोटो प्रति, दिनांक 12.01.1979 को आबादी परिवर्तन आदेश की पालना में स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 101 की फोटो प्रति, ग्राम बोया के गत् खसरा नंबर 305 रकबा 93 बीघा 17 विस्वा की किस्म बारानी सोयम दर्ज होने की पुष्टि में प्रथम भूप्रबन्ध मिसल बंदोवस्त संवत् 2009 से 2028 की फोटो प्रति, गत् खसरा नंबर 305 के हाल खसरा नंबर 540 व 596 बनने की पुष्टि में भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मिलान क्षैत्रफल की फोटो प्रति, भूप्रबन्ध पश्चात् की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रति, हाल नक्शा ग्राम बोया की फोटो प्रति जिसमें वर्तमान में खसरा नंबर 540 व 596 की भूमि में मौके पर आबादी बसी होने को लाल स्याही से तथा भूमि जो मौके पर पडत पडी है, को पीले रंग से दर्शाते हुये बतौर नजरी नक्शा पेश किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, बाली ने प्रकरण में अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ विविध/ 19/ 2338 दिनांक 07.08.2019 से निम्नानुसार जवाब/ तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की:–

1. कि ग्राम बोया के खसरा नंबर 540 रकबा 2.55 हैक्टर गै.मु. आगोर एवं खसरा नंबर 596 रकबा 4.11 हैक्टर किस्म गै.मु. वाला हाल जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। हाल खसरा नंबर 540 एवं खसरा नंबर 596 जो गत् खसरा नंबर 305 मीन से बने थे जो मिलान क्षेत्रफल के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं।
2. कि प्रथम भू0प्रबन्ध मिसल बन्दोवस्त संवत् 2009 से 2028 में उक्त भूमि खसरा नंबर 305 रकबा 93 बीघा सत्रह बिस्वा किस्म बारानी सोयम भोगता दलपतसिंह पुत्र मालमसिंह राजपुत सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज थी। उक्त खसरा नंबर 305 मेंसे श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय बाली के आदेश क्रमॉक/राजस्व/78/2062 दिनांक 05.03. 1979 के द्वारा दस बीघा भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 101 के द्वारा ग्राम पंचायत बोया के नाम गै.मु. आबादी के रूप में दर्ज की गयी थी। तथा तब से उक्त दस बीघा आबादी भूमि पर लोग मकान व बाडे बनाकर बस गए थे। किन्तु यह है कि द्वितीय भू0प्रबन्ध कार्यवाही संवत् 2042 में उक्त खसरा नंबर 309 के बने हाल खसरा नंबर 596 रकबा 4.11 हैक्टर गै.मु. वाला सिवाय चक खाते में एवं खसरा नंबर 541 रकबा 0.49 हैक्टर गै.मु. आबादी ग्राम पंचायत बोया के खाते में दर्ज की हैं।
3. कि गत् खसरा नंबर 305 मी. रकबा दस बीघा गै.मु. आबादी जो ग्राम पंचायत बोया के खाते में दर्ज थी, जो द्वितीय भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा नये बने खसरा नंबर 541 रकबा 0.49 हैक्टर ही मात्र गै.मु. आबादी भूमि दर्ज की हैं। एवं शेष (1.60–0.49)= 1.11 हैक्टर आवादी भूमि जो पूर्व खसरा नंबर 305 से बने हाल खसरा नंबर 540 व 596 में पुरानी बसी 1979 से आबादी भूमि का अंकन करना था, जो द्वितीय भू0प्रबन्ध विभाग ने सेवन से नहीं किया हैं।
4. कि गत् खसरा नंबर 305 में दिनांक 05.03.1979 में स्वीकृत हुई आबादी भूमि 10 बीघा में ही लोग मौके पर बाड़ा व कच्चे मकान बनाकर रहने लग गये थे, जो तत् समय मौके पर बसी आबादी के अनुसार द्वितीय भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किया गये रिकार्ड में अंकन करना था, जो खसरा नंबर 540 में 0.8286 हैक्टर भूमि गै0मु0 आबादी एवं खसरा नंबर 596 में 0.284 हैक्टर गै0मु0 अबाादी भूमि दर्ज करना था जो आज भी उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि में मौके पर आवादी बसी हुई हैं।
5. कि द्वितीय भू0प्रबन्ध विभाग को गत् खसरा नंबर 305 रकबा 10 बीघा भूमि से बने हाल खसरा नंबर 540 में 0.8286 हैक्टर पर गै0मु0 आबादी दर्ज करना था, किन्तु उन्होनें पूर्ण खसरा पर गै.मु. आगोर दर्ज कर दिया एवं खसरा नंबर 596 में 0.2814 हैक्टर में गै.मु. आबादी दर्ज करना था, किन्तु भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा पूर्ण खसरा पर गै.मु. वाला दर्ज कर दिया।

पेज लगातार.....03

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

इस प्रकार कुल (0.8286+ 0.2814)= 1.11 हैक्टर भूमि को द्वितीय भू0प्रबन्ध विभाग ने गै.मु. आबादी के स्थान पर गै0मु0 आगोर एवं गै0मु0 वाला की किस्म सेवन से दर्ज कर दी है, जो अशुद्ध एवं दुरस्ती योग्य हैं।

अपनी रिपोर्ट में अंत में हाल खसरा नंबर 540 मेंसे रकबा 0.8286 हैक्टर एवं हाल खसरा नंबर 596 मेंसे रकबा 0.2814 हैक्टर भूमि संलग्न नजरी नक्शा के अनुरूप आबादी भूमि दर्ज करने व रेकार्ड दुरस्ती कराने की अभिशंषा के साथ पत्रादि प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि ग्राम बोया के पुराने खसरा नंबर 305 की किस्म जागीर समय से बारानी सोयम दर्ज थी, एवं पुराने खसरा नंबर 305 मेंसे 10 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी, बाली के आदेश दिनांक 12.01.79 से ग्राम पचायत बोया के नाम आबादी में परिवर्तन के आदेश पारित किये गये, जिस आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 101 भी स्वीकृत किया गया, परन्तु भू0प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो द्वारा लापरवाही एवं दोषपुर्ण कार्यवाही करते हुये उक्त नामान्तरकरण का अमल दरामद नहीं किया, इसके साथ ही पुराने खसरा नंबर 305 के कायम नये खसरा नंबर 540 व 596 की किस्म को बारानी सोयम से परिवर्तित करते हुये खसरा नंबर 540 की किस्म गै.मु. आगोर एवं खसरा नंबर 596 की किस्म गै.मु. वाला त्रुटिपुर्ण रूप से दर्ज कर दिया गया। वकील प्रार्थी ने दलील दी कि **भूप्रबन्ध विभाग को भूमि की किस्म परिवर्तन के अधिकार नहीं है**, जिससे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा अधिकार क्षेत्र से परे की गई त्रुटिपुर्ण कार्यवाही को धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानो अनुसार दुरस्ती की जावे, एवं साथ ही उपखण्ड अधिकारी, बाली के आदेश दिनांक 12.01.79 से घोषित आबादी की पालना में स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 101 का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा नहीं करने से खसरा नंबर 540 व 596 में मौके पर बसी आबादी अनुसार ग्राम पंचायत बोया के नाम बतौर आबादी दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने की दलील दी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 540 रकबा 2.55 हैक्टर में मौके पर काबिज व्यक्तियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर S.B. Civil Writ No. 393/ 2019 में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 11.01.2019 को पारित आदेश की प्रति पेश की। अप्रार्थी पेरोकार सरकार ने भी वकील प्रार्थी की दलीलो का खण्डन नहीं किया एवं प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित अनुसार बोया के गत् खसरा नंबर 305 से बने हाल खसरा नंबर 540 मेंसे 0.8286 हैक्टर एवं खसरा नंबर 596 मेंसे 0.2814 हैक्टर कुल (0.8286+ 0.2814)= 1.11 हैक्टर भूमि बतौर आबादी दर्ज किये जाने बाबत् सहमति दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि ग्राम बोया के पुराने खसरा नंबर 305 रकबा 93 बीघा 17 बिस्वा की किस्म बारानी सोयम वक्त जागीर से प्रथम भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मिसल बन्दोवस्त संवत् 2009 से 2028 तक के रिकॉर्ड ऑफ राईट्स में दर्ज रही है। जिस भूमि की किस्म को द्वितीय भूप्रबन्ध कार्यवाही के पश्चात् तैयार नये अधिकार अभिलेखों में मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत् खसरा नंबर 305 से बने हाल खसरा नंबर 540 रकबा 2.55 हैक्टर की किस्म गै.मु. आगौर एवं हाल खसरा नंबर 596 रकबा 4.11 हैक्टर की किस्म गै.मु. वाला दर्ज कर दी गई, इसके साथ ही प्रकरण में यह भी जाहिर हैं कि बोया के पुराने खसरा नंबर 305 मेंसे 10 बीघा भूमि दिनांक 12.01.79 को तत्कालिन उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा ग्राम पंचायत, बोया के नाम आबादी दर्ज किये जाने के आदेश दिये, जिस आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 101 भी स्वीकृत किया गया, परन्तु भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त नामान्तरकरण का अमल दरामद नहीं किया जाना भी उक्त प्रकरण में प्रमाणित हैं।

पेज लगातार.............04

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उप खण्ड अधिकारी, बाली

पं. स. बाली (पाली) राज.

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध संख्या 06/2009 अनवान सरपंच ग्राम पंचायत, बोया बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत बोया ने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी, बाली के आदेश दिनांक 12.01.1979 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 101 का अमल दरामद कर बोया के गत् खसरा नंबर 305 से बने हाल खसरा नंबर 540 एवं 596 पर वर्तमान में मौके पर बसी आवादी को वतौर आवादी ग्राम पंचायत, बोया के नाम दर्ज किये जाने एवं भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा इन दोनो खसरा नंबरान् की किस्म बारानी सोयम से हटाकर गै.मु. आगोर व गै.मु. वाला दर्ज कर देने से दुरस्ती के माध्यम से पुनः भूप्रबन्ध पुर्व की स्थिति अनुसार बारानी सोयम दर्ज किये जाने की मांग की गई हैं। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, बाली के आदेश दिनांक 12.01.1979 से 10 बीघा भूमि आवादी घोषित की गई थी। जिसके विरूद्व वर्तमान में ग्राम पंचायत बोया के खाते में हाल खसरा नंबर 541 रकबा 0.49 हैक्टर भूमि बतौर आवादी दर्ज है। जिससे (1.60–0.49) =**1.11 हैक्टर भूमि** ग्राम पंचायत, बोया अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी बनती हैं। एवं प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 540 में 0.8286 हैक्टर एवं खसरा नंबर 596 में रकबा 0.2814 हैक्टर पर आबादी बसी हुई है। जिससे खसरा नंबर 540 व 596 मेंसे कुल (0.8286+ 0.2814)= 1.11 हैक्टर भूमि बतौर आवादी दर्ज किये जाने बाबत् सहमति दी गई। राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में विधि के प्रावधानो अनुसार दोनो पक्षो के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई लिपिकीय त्रुटियो को दुरस्त करने के आदेश दे सकता हैं। भू0प्रबन्ध विभाग को भूमि की किस्म परिवर्तन के भी अधिकार नहीं है। इसके साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने **S.B. Civil Writ No. 393/ 2019** में दिनांक 11.01.2019 को पारित आदेश में निर्देश दिये गये हैं कि याचिगणो को खसरा नंबर 540 पर मौके से बेदखल की कार्यवाही से पुर्व मौके पर कब्जे की जांच करते हुये कार्यवाही की जावे। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं। अप्रार्थी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बोया के गत् खसरा नंबर 305 से बने हाल खसरा नंबर 540 व 596 मेंसे कुल (0.8286+ 0.2814)= **1.11 हैक्टर** भूमि बतौर आबादी राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं साथ ही भू0प्रबन्ध पुर्व के रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार खसरा नंबर 540 व 596 की किस्म बारानी सोयम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बोया को लिखा जावे। प्रार्थी ग्राम पंचायत बोया, एवं अप्रार्थी तहसीलदार बाली को यह भी निर्देश दिए जाते है कि राजस्व रिकॉर्ड मे उक्त शुद्वि किए जाने के पश्चात मौके पर गे.मु. वाला, आगोर एवं अन्य जल संरचनाओ के प्राकृतिक जल प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे एवं जल प्रवाह मे अवरोधो को हटवाने की कार्यवाही की जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उप-खण्ड अधिकारी, बाली
(भू0 अभिलेख अधिकारी)
आर.ए.एस
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 21-8-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
उप-खण्ड अधिकारी, बाली
(एस.डी.ओ.), बाली

Scanned by CamScanner